<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।</u>
<u>उपस्थित : श्री मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा</u>
परिवाद संख्या– 1128/2025

श्रीमती प्रेमलता **–बनाम–** वीरेश कुमार आदि

<u>27.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता को तलबी पर सुना गया।

संक्षेप में परिवादिया का कथन है कि "श्रीमती प्रेमलता पत्नी प्रवेन्द्र सिंह निवासी ग्राम वलीदादपुर, थाना सकरौली, जिला एटा की रहने वाली अत्यन्त सीधी सादी महिला है। परिवादिया दिनांक 01–06–2025 समय सुबह 10 बजे अपने घर के अन्दर घरेलू कार्य कर रही थी तभी परिवादिया के गाँव के ही वीरेश कुमार पुत्र राजन सिंह, श्रीमती रीना देवी पत्नी वीरेश कुमार व राजन सिंह पुत्र खचेर सिंह अपने हाथो में लाठी डण्डे लेकर परिवादिया के घर में अन्दर घुस आये और मां बहन की गालिया देते हुए बोले कि साली तू हमें पेडो से आम तोडने से रोकती आज तुझे जान से मार देगें तथा लात घूसो व थप्पडो से मारपीट कर निर्वस्त्र कर दिया। परिवादिया चीखी चिल्लाई तो प्रवेन्द्र, दिलीप कुमार अन्य काफी लोग मौका आ गये जिन्होने घटना देखी व बचाया। घटना की तहरीर थाना सकरौली पर दी दव्व चोटे बताकर मेडिकल कराने व रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया तब मजबूर होकर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एटा को प्रार्थनापत्र वजरिए रजिस्ट्री दिनांक 02–06–2025 को प्रस्तुत किया लेकिन कोई कार्यवाही नही हुयी तब मजबूर होकर परिवादपत्र मय शपथपत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर न्याय की गुहार कर रही है।"

परिवाद के समर्थन में परिवादिया ने स्वयं को धारा 223 बी०एन०एस०एस० में एवं साक्षीगण पी०डब्लू० 1 प्रवेन्द्र कुमार एवं पी०डब्लू० 2 दिलीप कुमार को धारा 225 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत परीक्षित कराया है। अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में स्वंय का शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एटा को भेजे गये प्रार्थना पत्र की छायाप्रति मय रसीद एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

परिवादिया ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि *"दिनांक 01.06.2025 को सुबह 10 बजे मैं घर के अंदर काम कर रही थी। जब घर पर कोई नहीं था। मैंने वीरेश, रीना और राजन को आम तोड़ने से मना किया था। दि. 01/06/2025 को वीरेश, रीना और राजन तीनों मेरे घर में घुस गए। मेरे साथ मारपीट की गाली गलौज की। तीनों लोगों ने पकड़कर मेरे साड़ी खींच दी। मुझे मारने की धमकी दी। मैं थाने गई वहाँ कोई मैडीकल नहीं कराया गया। मेरा पति दूध का काम करता है। जब घटना हुई तो मेरे चिल्लाने पर मेरा पति प्रवेन्द्र व दिलीप आ गए थे। प्रवेन्द्र उस वक्त घर पर नहीं थे गाँव वालों ने फोन कर दिया था उन्हें इसीलिए वे आ गए। थाने वालों ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी।"*

साक्षीगण के बयान अंकित किये जाने के उपरान्त विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये थे। विपक्षीगण को रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस जारी किये गये, जिस पर विपक्षीगण की ओर से जबाव कागज सं० 12 अ प्रस्तुत कर कथन किया कि उपरोक्त मुकदमा की वादिया शपथकर्ता के सगे भाई प्रवेन्द्र की पत्नी व रीना देवी की जिठानी व राजन सिंह की पुत्रवधू है जिस कारण उक्त झगडा का एक घर में ही होना नहीं बनता है, क्योंकि उपरोक्त सभी अभियुक्तगण सहअभि० राजन सिंह द्वारा बनाये गये

मकान में रहते हैं। किन्तु उक्त मुकदमा की पीडिता प्रेमलता द्वारा आज तक कोई अलग मकान नहीं बनाया है। उपरोक्त मुकदमा की वादिया द्वारा वताया है कि आम तोडने को लेकर विवाद होना बताया है जबकि उक्त आम के मालिक राजन सिंह है जिनके नाम उक्त गाटा संख्या में आम खड़ा है, जिनके चार पुत्र है जिन्होंने घरेलू तौर पर उक्त जमीन को पुत्रों में बांट दिया है। उक्त आम वाला खेत अपने शेयर में ले लिया है जिस कारण उक्त पेड़ से आम तोडने का दायित्व सहअभिः वीरेश कुमार व उसकी पत्नी रीना का भी बनता है। उपरोक्त मुक्दमा की पीडिता द्वारा गलत तथ्यों पर आधारित परिवाद मा० न्यायालय में दि 09.06.2025 योजित किया है, जिसमें घर में घुसकर मारपीट गाली गलौज व निर्वस्त्र होने वाली बात बतायी है, जबकि अपने बयान धारा– 223 बी. एन. एस. एस.में पीडिता द्वारा मैं अपने घर के अन्दर काम कर रही थी, जब घर पर कोई नही था मैंने बीरेश, रीना, राजन को आम तोडने से मना किया तो तीनों ने मेरे साथ मारपीट की पकडकर साडी खींच दी पति दूध का काम करते हैं जो उस वक्त घर पर नहीं थे बताया। उक्त परिवाद में पी०डब्लू0 1 बयान अन्तर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० प्रवेन्द्र कुमार हुआ है, उसमें भी बताया है कि मैं मौके पर आ गया मैंने अपनी पत्नी की उपरोक्त लोगों की मारपीट करते बचाया। पी०डब्लू० 2 दिलीप कुमार ने अपने बयान में भी घर में घुसकर वीरेश, रीना व एक नये मुल्जिमान राजेन्द्र सिंह के द्वारा घर में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी को लेकर प्रेमलता को निर्वस्त्र करने वाली बता बतायी है। कहा मैं मौका पर पहुँच गया अन्य किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया है। उपरोक्त मुकदमा की परिवादिया प्रेमलता द्वारा अपने परिवादपत्र व बयान धारा– 223 बी०एन०एस०एस० व पी०डब्लू० 1 प्रवेन्द्र कुमार व पी०डब्लू० 2 दिलीप कुमार के बयानों में विरोधाभाषा होने के कारण स्पष्ट है कि घटना संदिग्धा बनावटी है, जिसि कारण प्रार्थना पत्र बलहीन व कोई साक्ष्य घटना के सम्बन्ध में पत्रावली पर दाधिल ना कर पाने के कारण निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त मुकदमा की पीड़िता व सहअभियुक्तगण वीरेश, रीना देवी व राजन सिंह को उपरोक्त परिवादिया के ससुर है जिनके साथ परिवादिया का पति प्रवेन्द्र शराब पीकर अक्सर मारपीट करता था, जिससे तंग आकर अपने बेटे वीरेश के पास रहने लगे हैं तभी से परिवादिया रंजिश मानती चली आ रही है। उपरोक्त मुकदमा की परिवादिया व प्रार्थीगण का एक ही राजन सिंह द्वारा बनवाया गया एक ही संयुक्त मकान है, जिसमें अलग–अलग रूम है, जिससे स्पष्ट है कि घर में घुसकर मारपीट वाली बात विल्कुल गलत है जिस कारण प्रार्थीगण के ऊपर दबाव बनाने व राजन सिंह के रिटायर्ड होने के पश्चात जो पैसा मिला है उसको दबाव बना कर वसूलने के उद्देश्य से यह परिवाद दायर किया है जो खारिज होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विपक्षीगण आपस में सगे संबंधी एवं परिवारीजन है। विपक्षीगण एवं परिवादिया के मध्य झगड़े चल रहे हैं। उभय पक्षों के मध्य सम्पत्ति को लेकर विवाद है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य पूर्व से वैमनस्य एवं तनावपूर्ण संबंध विद्यमान हैं। न्यायालय इस तथ्य से भली–भांति अवगत है कि मात्र पूर्व रंजिश अथवा मुकदमेबाजी होने की बजह से किसी अभियोजन को स्वतः असत्य सिद्ध नहीं करता, किन्तु यह भी विधिक सिद्धांत है कि जब पक्षकारों के मध्य दीर्घकालीन सम्पत्ति विवाद एवं न्यायालयीन मुकदमेबाजी चल रही हो, तब एक–दूसरे के विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व है कि उपलब्ध साक्ष्य का अत्यंत सावधानी, सतर्कता एवं स्वतंत्र

दृष्टिकोण से परीक्षण करे। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि विपक्षी सं० 3 परिवादिया का ससुर है जो कि एक रिटायर्ड सरकारी अध्यापक है। विपक्षी सं० 1 व 2 परिवादिया के जेठ व जिठानी है, जिनमें आये दिन आपस में सम्पत्ति को लेकर झगड़ा होता रहता है तथा आपस में सम्पत्ति को लेकर मुकदमेबाजी भी चल रही है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि परिवादिया विपक्षी सं० 3 की पुत्र वधू तथा पी०डब्लू० 1 उसका सगा पुत्र है। उसके बावजूद पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने पिता को गांव के सदस्य बताया गया है। परिवाद पत्र में परिवादिया द्वारा यह कहीं भी अवगत नहीं किया गया है कि विपक्षी उसके परिवारीजन हैं इसके विपरीत परिवादिया तथा उसके पति प्रवेन्द्र द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि विपक्षी उसके गांव के सदस्य हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादिया न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छुपाकर परिवाद पर बल दिया जा रहा है इस प्रकार यहाँ यह भी स्पष्ट है कि परिवादिया स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई है।

परिवादिया द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि घटना दिनांक 01.06.2025 को मेरे पति प्रवेन्द्र व दिलीप कुमार आदि ने घटना देखी तथा उसको बचाया तथा अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० में कथन किया है कि प्रवेन्द्र उस वक्त घर पर नहीं थे, गांव वालों ने फोन कर दिया इसलिए वह आ गये थे। परिवादिया द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षी ने बयान अन्तर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० में पी०डब्लू० 1 जो कि परिवादिया का पति है ने कथन किया है कि पत्नी के चीखने पर मौके पर आ गया और उसने घटना देखी। इस प्रकार चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा घटना को देखा जाना तथा परिवादिया द्वारा उक्त साक्षी के संबंध में किये गये कथन में स्पष्ट रूप से विरोधाभाष है तथा घटना को संदिग्ध बनाता है। परिवादिया द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस० एस० में तीनों लोगों द्वारा साड़ी खींचने का कथन किया है, जबकि पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2 द्वारा इस प्रकार (साड़ी खींचने) का कोई भी कथन नहीं किया है। यहाँ यह भी स्पष्ट करना उल्लेखनीय है कि पी०डब्लू० 2 द्वारा कथन किया गया है कि मैं व काफी अन्य लोग आ गये, जिन्होंने घटना देखी व बचाया, इससे यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा परिवादिया उसके द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि वह घटना के समय उपस्थित था तथा उसके द्वारा परिवादिया को बचाया गया है। इसके अलावा उसने परिवादिया के पति के संबंध में कोई भी कथन नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि परिवादिया के बयान एवं उसके द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के बयानों में आपस में विरोधाभाष है, जो कि मामले को संदिग्ध बनाता है।

विपक्षीगण द्वारा अपने जबाव से यह स्पष्ट है कि उभय पक्षों के मध्य सम्पत्ति को लेकर झगड़ा चला आ रहा है। उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं, जहाँ विपक्षी संख्या 1 व 2 परिवादिया के जेठ, जिठानी है तथा विपक्षी सं० 3 परिवादिया का ससुर (पिता) है, जो एक रिटायर्ड सरकारी अध्यापक तथा उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। विपक्षीगण द्वारा कथन किया गया है कि पिता पुत्रों में सम्पत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा है तथा पी०डब्लू० 1 द्वारा अपने पिता जो कि परिवाद में विपक्षी सं० 3 है, के साथ पूर्व में भी मारपीट की गयी है, जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादिया तथा उसके पति द्वारा अनुचित दबाव बनाने के लिए अपने पिता/ससुर के विरुद्ध पुत्रवधू की साड़ी खींचने जैसे जघन्य आरोप लगाये गये हैं। परिवादिया द्वारा अपने परिवाद पत्र के कथन का समर्थन अपने बयान में नहीं किया गया है तथा विरोधाभाषी बयान दिया है। इसके अतिरिक्त पी०डब्लू० 1 का घटना के समय उपस्थित होना

तथा चुक्षुदर्शी साक्षी होना परिवादिया के कथन से ही संदिग्ध है। अतः न्यायालय का यह मत है कि मात्र आशंकाओं के आधार पर किसी वरिष्ठ नागरिक के विरुद्ध पुत्र एवं पुत्रवधू के आरोपों पर संज्ञान लिया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिवादिया द्वारा अपने परिवाद पत्र में कथन किया है कि उसके साथ विपक्षीगण द्वारा लात घूंसो तथा थप्पड़ों से मारपीट की गई। यदि उक्त घटना परिवाद में वर्णित तरीके से घटित हुई होती, तो परिवादिया द्वारा तत्काल चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना अपेक्षित था, जिससे उसे आई चोटों का प्रमाण उपलब्ध हो सकता था। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादिया ने न तो अपना चिकित्सीय परीक्षण कराया है और न ही किसी चिकित्सक द्वारा जारी चोट संबंधी प्रमाण पत्र अथवा अन्य चिकित्सकीय अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस प्रकार मारपीट के आरोप के समर्थन में कोई स्वतंत्र चिकित्सकीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परिवादिया द्वारा न तो चिकित्सीय परीक्षण कराने का कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही ऐसा कोई अन्य वस्तुनिष्ठ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि उसे घटना के दौरान कोई चोटें आई थीं। ऐसी स्थिति में मारपीट के आरोप का समर्थन केवल परिवादिया एवं उसके हितबद्ध साक्षियों के मौखिक कथनों तक सीमित रह जाता है। अतः मारपीट के आरोप इस स्तर पर मैडीकल प्रपत्रों के अभाव में पर्याप्त रूप से प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः मामलें के तथ्यों व परिस्थितियों, उपरोक्त विश्लेषण तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि प्रश्नगत परिवाद में विपक्षीगण को तलब करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति प्रथमदृष्टया विपक्षीगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Pepsi Foods Ltd. vs. Special Judicial Magistrate, (1998) 5 SCC 749,** में यह अवधारित किया गया है किः– Summoning of an accused in a criminal case is a serious matter. Criminal law cannot be set into motion as a matter of course. It is not that the Magistrate is a silent spectator at the time of recording of preliminary evidence before summoning of the accused. The Magistrate has to carefully scrutinise the evidence brought on record and may even himself put questions to the complainant and his witnesses to elicit answers to find out the truthfulness of the allegations or otherwise and then examine if any offence is prima facie committed by all or any of the accused." परिवाद साक्ष्य के अभाव में धारा 226 बी०एन०एस० के अंतर्गत निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

परिवादिया का परिवाद अंतर्गत धारा 226 बी०एन०एस० निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार अभिलेखागार संचयित हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०,
जलेसर, एटा।
(J.O. Code UP 4823)

दिनांक 27.07.2026